# न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील जीसीएमएस नम्बर 2022/530**

1. साहिल पुत्र स्व. जगन्नाथ, जाति जाट निवासी प्लाट नंबर बी––3, पथ संख्या 4, जमनानगर, सोडाला, जयपुर ।

––अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राजस्थान

––रेस्पोडेन्ट

2. मिश्रीलाल पुत्र हीरालाल जाति खटीक, निवासी जैवल्यान का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज.
3. सायर देवी पत्नि रामलाल, जाति जाट, निवासी जैवल्यान का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

––प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व एक्ट, 1955 विरुद्ध अन्तिम निर्णय दिनांक 02.08.2022 द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर राजस्थान, जिसके द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 79/2022 उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रुल्स अधिनियम 1957 एवं राजस्थान सरकार राजस्व विभाग परिपत्र कमांक प (3) (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08. 2016 स्वीकार किया गया।**

**उपस्थित–**

1. श्री अखिलेश कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 1 की ओर से ।
3. श्री महेश कुमार जैन, रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।

**निर्णय**

**दिनांक –26.02.2024**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू रूल्स–1957 एवं राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक के अन्तर्गत प्रार्थी/पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ के समक्ष उपस्थित होकर प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2022 द्वारा प्रार्थी पैराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 174, 172, 190 वाके ग्राम जैवल्यान का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में से प्रार्थना–पत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार प्रचलित रास्ते का नया खसरा कायम करते हुये रिकार्ड में अंकन करने एवं उपरोक्तनुसार रास्ते की भूमि का रकबा बरारी कर आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में इन्द्राज कर नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार मौजमाबाद को दिये गये है। दर्ज रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में पूर्ववत रखे जाने एव उक्त रास्ता सार्वजनिक करने तथा संलग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रखने हेतु आदेशित किया गया है।
3. उपखण्ड अधिकारी दूदू दिनांक 02.08.2022 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी साहिल पुत्र स्व. जगन्नाथ द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 02.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। वकील उभयपक्ष की बहस बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी के पिता स्व. श्री जगन्नाथ की खातेदारी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 22 खसरा नंबर 173 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म गै.मु.चाह एवं खसरा नंबर 174 रकबा 2.0000 हैक्टेयर लगानी 8 रूपये कुल किता 2 कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर वाकै ग्राम जेवल्यान का बास पटवार हल्का मौखमपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है । अप्रार्थी बहैशियत वारिस स्व. जगन्नाथ पुत्र स्व. बीजा उपरोक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। तहसीलदार मौजमाबाद के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर को पत्र क्रमांक भू.अ. 2016/4522 दिनांकित 29.07.2021 प्रेषित कर संलग्न नक्शे अनुसार प्रचलित रास्ता मानते हुए राजस्व रिकॉर्ड में प्रचलित रास्ता दर्ज किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया जो दिनांक 02.08.2021 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज हुआ। उपरोक्त पत्रावली पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय श्री जगन्नाथ के नाम पर नोटिस प्रेषित किये जिसकी जानकारी होनें पर अपीलार्थी नें जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दर्ज करवाई उसके उपरान्त उपरोक्त पत्रावली बिना अपीलार्थी की जानकारी के सुनवाई में लेकर दिनांक 06.07.2022 को अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि उपरोक्त न्यायालय में उक्त खसरा नम्बर से सम्बन्धित पत्रावली अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट लम्बित थी जिसमें उपस्थित होनें पर एकपक्षीय आदेश की जानकारी हुई जिस पर वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत् अपास्त किये जानें एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तुत किया जिसे 500 रुपये की कॉस्ट पर स्वीकार फरमा लिया तथा दिनांक 13.07.2022 को उक्त पत्रावली में बहस सुननें के उपरान्त आदेश के लिए रिजर्व रख ली गई । उपरोक्त सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा विस्तृत आपत्तियां प्रस्तुत की गई परन्तु उक्त आपत्तियों पर न्यायालय द्वारा बिना कोई सुनवाई किये अन्तिम रुप से निर्णय पारित कर दिया। यहां यह तथ्य भी दर्ज किया जाना सुसंगत है कि उपरोक्त पत्रावली दिनांक 13.07.2022 को आदेश के लिए रिजर्व कर ली गई थी परन्तु लगातार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होनें के उपरान्त भी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया। दिनांक 26.08.2022 को ज्ञात हुआ कि पत्रावली में बैक डेट दिनांक 02.08.2022 में आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त जानकारी होनें के उपरान्त तुरन्त प्रभाव से अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा सत्यप्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन दिनांक 26.08.2022 प्रस्तुत किया जो अपीलार्थी को दिनांक 29.08.2022 को प्राप्त हुआ । उपरोक्त आदेश के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पत्रावली स्वीकार फरमाई जाकर प्रचलित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जानें के आदेश पारित किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करनें से पूर्व विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व एवं सिविल न्यायालयों में चल रहे विभिन्न विवादों पर बिना गौर फरमाये उपरोक्त आदेश पारित किया है जो कानूनसम्मत नहीं होनें से अपास्त किये जानें योग्य है। वास्तविकता में विवादित रास्ता भूमि पर कोई रास्ता नहीं है परन्तु कुछ पडौसी खातेदारों नें अपीलार्थी की भूमि को खुर्द बुर्द करनें के आशय से प्रशासन के साथ सांठगांठ कर राजनैतिक प्रभावों का प्रयोग कर भ्रष्टाचार के तहत उपरोक्त आदेश पारित करवाया है। उपरोक्त विवादित आराजी के रास्ते की घोषणा के सम्बन्ध तथा स्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में पूर्व से अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश दूदू जिला जयपुर के समक्ष व्यवहार वाद बउनवानी शिवजीराम बनाम साहिल व अन्य लम्बित है तथा उक्त विवादित रास्ते की भूमि से सम्बन्धित उपरोक्त सिविल वाद से पूर्व अन्य व्यवहार वाद बउनवानी दीनदयाल बनाम साहिल व अन्य बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा खारिज हो गया था जिसकी अपील माननीय अपर जिला न्यायाधीश दूदू जयपुर में लम्बित है। उपरोक्त के अलावा शिवजीराम ने तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीए प्रस्तुत किया था जिसे भी भ्रष्टाचार के तहत आदेश दिनांक 26.08.2020 को स्वीकार करवा लिया था। उक्त आदेश की अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसे माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दूदू द्वारा खारिज फरमा दिया गया था जिसके उपरान्त अपीलार्थी को माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा राहत प्रदान करते हुए तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 26.08.2020 को स्टे किया। उपरोक्त के अलावा दीनदयाल के द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 40/2015 पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरुद्ध माननीय संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील संख्या 352/2020 उनवानी दीनदयाल बनाम साहिल व अन्य प्रस्तुत की। उक्त अपील में उक्त पत्थरगढी के आदेश दिनांक 14.06.2016 को अपारत करने की प्रार्थना करते हुए एक स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय संभागीय आयुक्त ने आदेश दिनांक 01.10.2018 द्वारा खारिज फरमा दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 01.10.2018 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष निगरानी याचिका संख्या 7328/2018 उनवानी दीनदयाल व अन्य बनाम साहिल व अन्य प्रस्तुत हुई जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने पक्षकारान् को सुननें के उपरान्त जरिये आदेश दिनांक 21.08.2019 निर्णित कर माननीय संभागीय आयुक्त के समक्ष लम्बित अपील संख्या 352 /2018 को दो माह में निस्तारित करने के निर्देशों सहित मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिए पाबंद करते हुए निगरानी याचिका को निस्तारित की। माननीय संभागीय आयुक्त नें उपरोक्त अपील संख्या 352/2018 जरिये आदेश दिनांक निर्णित करते हुए माननीय उपखण्ड महोदय को 3 माह के निस्तारण के निर्देश के साथ पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जानें के आदेश पारित किये जो वर्तमान में लम्बित है। उक्त प्रार्थना पत्र को लम्बित रखते हुए तथा कोई कार्यवाही नही करते हुए प्रचलित रास्ते का प्रार्थना पत्र निर्णित किया है जो अपने आप में दुर्भावनापूर्ण होना स्पष्ट करता है इसलिए विवादित आदेश सरसरी तौर पर ही खारिज किये जानें योग्य है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य व परिस्थितियां यह स्थिति को स्वतः स्पष्ट करती है कि प्रस्तुत प्रकरण में पारित आदेश निष्पक्ष एवं विधिअनुकूल नहीं होकर अवैध एवं दुर्भावनापूर्ण है, जो अपास्तनीय है। माननीय उपखण्ड अधिकारी नें राजस्थान सरकार राजस्व विभाग परिपत्र क्रमांक प(3) (2) राज –6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के आधार पर स्वीकार फरमाया गया है जबकि उपरोक्त परिपत्र वर्ष 2016 में मात्र निश्चित अवधि के लिए प्रभावी था उसके आधार पर वर्तमान में तहसीलदार महोदय को कोई कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 के द्वारा अपनाई गई दूषित व अवैध कार्यवाही का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया गया है। तहसीलदार महोदय नें कभी मौके पर उपस्थित नहीं हुए ना ही कभी अपीलार्थी अथवा अपीलार्थी के किसी भी परिजन को मौका निरीक्षण के समय अथवा रिपोर्ट तैयार करते समय बुलाया गया ना ही कभी सुनवाई का मौका दिया। केवल मात्र ऑफिस में बैठकर भ्रष्टाचार के तहत समस्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई जाकर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रचलित रास्ते को दर्ज करवाये जानें बाबत् उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आधार पर दूषित निर्णय अपास्त किये जानें योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 02.08.2022 अपास्त फरमाते हुए तहसीलदार मौजमाबाद जयपुर के प्रार्थना पत्र क्रमांक भू.अ. 2016/4522 दिनांकित 29.07.2021 मय संलग्न नक्शे अस्वीकार कर खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू रूल्स–1957 एवं राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक के अन्तर्गत प्रार्थी/पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट व अन्य के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 174, 172, 190 वाके ग्राम जैवल्यान का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार रास्ता प्रचलित है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हो रखा है, इसलिये उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2022 द्वारा प्रार्थी पैराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 174, 172, 190 वाके ग्राम जैवल्यान का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में से प्रार्थना–पत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार प्रचलित रास्ते का नया खसरा कायम करते हुये रिकार्ड में अंकन करने एवं उपरोक्तानुसार रास्ते की भूमि का रकबा बरारी कर आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में इन्द्राज कर नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार मौजमाबाद को दिये गये है। दर्ज रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पूर्ववत रखे जाने एव उक्त रास्ता सार्वजनिक करने तथा संलग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रखने हेतु आदेशित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू रूल्स अधिनियम–1957 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प (3) (2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के प्रावधानों के अनुरूप होने से प्रार्थी पैराकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 पैराकार ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स अधिनियम–1957 एवं राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प(3)(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र बाबत नजरी नक्शे अनुसार रास्ता प्रचलित को जो राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हो रखा है, उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने का अनुतो । चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा–फर्द नक्शा, फर्द जमाबन्दी आदि के अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी तहसीलदार दूदू की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता मौके पर चालू है तथा कदीमी रास्ते के रूप में काम आ रहा है। अप्रार्थीगण काश्तकारों को नोटिस जारी किये गये हैं, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता सहमति–पत्र पेश किया कि प्रार्थी/तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर स्वीकार किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जगन्नाथ के विधिक वारिसान हाल अपीलान्ट की ओर आपत्ति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट ने आपत्ति गलत रूप से पेश की है रास्ता मौके पर चालू है जिस बाबत पूर्स में भी तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा रास्ता खुलासा करवाने एवं आयन्दा बन्द नहीं करने हेतु निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त रास्ता मौके पर प्रचलित रास्ता है एवं आमजन के आवागमन के उपयोग में आ रहा है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौके पर प्रचलित रास्ते की चौडाई अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2022 द्वारा प्रार्थी पैराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 174, 172, 190 वाके ग्राम जैवल्यान का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में से प्रार्थना–पत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार प्रचलित रास्ते का नया खसरा कायम करते हुये रिकार्ड में अंकन करने एवं उपरोक्तनुसार रास्ते की भूमि का रकबा बरारी कर आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में इन्द्राज कर नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार मौजमाबाद को दिये गये है। दर्ज रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में पूर्ववत रखे जाने एव उक्त रास्ता सार्वजनिक करने तथा संलग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रखने हेतु आदेशित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2022 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

**अतः आदेश है कि**: अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ.आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर